सुधीर कुमार राणा

बनाम

सुरिंदर सिंह तथा अन्य

(सिविल अपील संख्या 3321/2008)

6 मई, 2008

(एस. बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पंत, न्यायधीशगण)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988; धाराएँ 166 और 173: अंशदायी लापरवाही - मोटर वाहन दुर्घटना- दावेदार, एक नाबालिग, दोपहिया वाहन चालक प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाए गए ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना का शिकार हो गया- नाबालिग का दायित्व- न्यायाधिकरण द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति में से अंशदायी लापरवाही के आधार पर एक निश्चित राशि की कटौती – अभिनिर्धारित: अंशदायी लापरवाही का सिद्धांत उसी बल के साथ नाबालिग पर लागू नहीं होता है जैसा किसी एक वयस्क व्यक्ति पर - यदि शिकायतकर्ता किसी ऐसे कार्य/चूक का दोषी है, जो दुर्घटना में तात्विक रूप से योगदान करता है जिसके परिणामस्वरूप चोट तथा क्षति कारित होती है, तो अंशदायी लापरवाही का सिद्धांत लागू होगा– हस्तगत प्रकरण में, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ऐसा कोई तथ्य का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है कि दावेदार दोपहिया जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चला रहा था -केवल इसलिए कि दावेदार के पास चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था, उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जाएगा - इन परिस्थितियों में, दावेदार क्षतिपूर्ति की पूरी राशि ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार है और अंशदायी लापरवाही के आधार पर इससे कोई कटौती नहीं हो सकती है।

सिद्धांतः

'अंशदायी लापरवाही' का सिद्धांत- की प्रयोज्यता।

अपीलार्थी, एक नाबालिग, एक दोपहिया वाहन चला रहा था, जिसकी एक मिनी ट्रक, जिसे कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था, के साथ दुर्घटना हुई। उसके शरीर पर आई कई चोटों के आधार पर उसने एक दावा याचिका दायर की। न्यायाधिकरण ने उसे Rs.30,000/- की क्षतिपूर्ति प्रदान करते हुए, उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी पाया क्योंकि उसके पास चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था। अतः न्यायाधिकरण ने आदेशित क्षतिपूर्ति में से कुछ राशि की कटौती का आदेश दिया। अपीलार्थी द्वारा इस आदेश के खिलाफ की गई अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 आम तौर पर, अंशदायी लापरवाही का सिद्धांत बच्चों के मामले में उसी समान लागू नहीं होता है जिस प्रकार वयस्कों के मामले में लागू होता है। (पैरा-4) [874-ई]

1.2 यह न्यायालय ऐसा कानून बनाने का इरादा नहीं रखता है कि एक बच्चा कभी भी अंशदायी लापरवाही का दोषी नहीं हो सकता है लेकिन आम तौर पर यह तथ्य का प्रश्न है। (पैरा-5) [874-ई, एफ]

मुथुस्वामी और अन्य बनाम एस. ए. आर. अन्नामलाई और अन्य। (1990) ए. सी. जे. 974-पर भरोसा किया।

1.3 अंशदायी लापरवाही का सवाल केवल तभी उत्पन्न होता है जब दोनों पक्ष लापरवाही करते पाए जाते हैं। (पैरा-6) [874-जी]

1.4 यदि शिकायतकर्ता को किसी कार्य या चूक का दोषी होना पाया जाता है जिसने दुर्घटना में तात्विक रूप से योगदान दिया और परिणामस्वरूप चोट और क्षति कारित हुई, अंशदायी लापरवाही का सिद्धांत लागू होगा। (पैरा-7) [874-जी, एच; 875-ए]

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अविनाश (1998) ए. सी. जे. 322 (राज.)-पर भरोसा किया।

2.1 यदि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञा पत्र के वाहन चलाता है, तो वह अपराध करता है। वही, अपने आप में, दुर्घटना के संबंध में लापरवाही का कारण नहीं बन सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि यह प्रतिवादी संख्या 1 था, जो मिनी-ट्रक का चालक था, जिसके द्वारा जल्दबाजी तथा लापरवाही से चलाया जा रहा था। यह कहना एक बात है कि अपीलार्थी के पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था, लेकिन ऐसा कोई तथ्य का निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि वह जल्दबाजी और लापरवाही से दुपहिया वाहन चल रहा था। यदि वह जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी नहीं चला रहा था जिसने कि दुर्घटना में योगदान किया हो, तो यह न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि कैसे, केवल इसलिए कि उसके पास अनुज्ञा पत्र नहीं था, उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी ठहराया जाएगा। अगर उसकी जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण, दुर्घटना हुई होती, तो मामला भिन्न होता। (मद संख्या-8 और 9) [876-बी-ई]

2.2 अपीलार्थी न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त Rs.30,000/- की क्षतिपूर्ति राशि मय निर्णय की तारीख से भुगतान करने तक 7.5% प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज, प्राप्त करने का हकदार है। अन्यथा भी, उसे आयी चोटों की प्रकृति को देखते हुए यह न्यायोचित नहीं होगा कि उसे क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदत्त की गई Rs.30,000/- की छोटी सी राशि से भी वंचित रहना पड़े। (पैरा-10) [876-ई, एफ]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3321/2008

दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा एम. ए. सी. अपील नं. 928/2006 में पारित निर्णय दिनांकित 24.11.2006 से।

मनीष मैनी, तुषार बख्शी और नरेश बख्शी अपीलार्थी के लिए।

एम. जे. पॉल उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा- एस. बी. सिन्हा, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी दिनांक 30.10.2003 को दुपहिया वाहन चला रहा था, जिसकी पंजीकरण संख्या DL-45 AQ 0731 थी। उसकी आयु लगभग साढ़े 17 वर्ष थी। उसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, क्योंकि कथित रूप से प्रतिवादी नंबर 1 एक मिनी ट्रक को जल्दबाजी और लापरवाही से चला रहा था। उक्त दुर्घटना में उसे निम्नलिखित चोटें आयीं:

" 1. दाहिने पैर पर कुचलें।

2. पाँचवें एम. टी. हड्डी और जोड़ पर फ्रैक्चर।

3. पी. पी. पैर की छोटी अंगुली पर फ्रैक्चर (कुल 3 फ्रैक्चर)

4. बाएँ पैर के धड़, दाएँ पैर, दाएँ हाथ और बाएँ घुटने पर घर्षण।

5. अत्यधिक रक्तस्राव।

6. पूरे शरीर पर खरोंच और कुंद चोटें।"

3. अपीलार्थी ने धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत दावा याचिका दायर की। न्यायाधिकरण ने राय दी कि चूंकि अपीलार्थी के पास चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था, उसे दुर्घटना में अंशदायी माना जाना चाहिए। हालांकि उसे 30,000/- क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया था, परंतु इस निष्कर्ष के कारण कि वह अंशदायी लापरवाही का दोषी था, उसे केवल 12,000/- रुपये की राशि का हकदार पाया गया। उस के द्वारा दायर अपील अंतर्गत धारा 173 को उच्च न्यायालय के द्वारा विवादित निर्णय के जरिए खारिज कर दिया गया।

4. विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी को अंशदायी लापरवाही होने का दोषी कहा जा सकता है।

आम तौर पर, अंशदायी लापरवाही का सिद्धांत बच्चों के मामले में उसी समान लागू नहीं होता है जिस प्रकार वयस्कों के मामले में लागू होता है।

5. हम ऐसा कानून बनाने का इरादा नहीं रखते हैं कि एक बच्चा कभी भी अंशदायी लापरवाही का दोषी नहीं हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यह एक तथ्य का प्रश्न है। [मुथुस्वामी और अन्य बनाम एस. ए. आर. अन्नामलाई और अन्य। (1990) ए. सी. जे. 974 देखें]

6. अंशदायी लापरवाही को एक ऐसी लापरवाही के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जब किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही से उत्पन्न होने वाले परिणामों से बचने के लिए, साधन और अवसर होने के बावजूद, बचाव न किया जाए। अंशदायी लापरवाही का सवाल केवल तभी उठेगा जब दोनों पक्ष लापरवाही करते पाए जाएँ।

7. सवाल यह है कि लापरवाही किस लिए? यदि शिकायतकर्ता को किसी कार्य या चूक का दोषी होना पाया जाता है जिसने दुर्घटना में तात्विक रूप से योगदान दिया और परिणामस्वरूप चोट और क्षति कारित हुई, अंशदायी लापरवाही का सिद्धांत लागू होगा। [न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अविनाश (1998) ए. सी. जे. 322 (राज.) देखें]

टी. ओ. एंथनी बनाम कवारणन इत्यादि [(2008) 3 एससीसी 748, में यह अभिनिर्धारित किया गया

> "6. 'समग्र लापरवाही' दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लापरवाही को संदर्भित करता है। जहाँ कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक दोषियों की लापरवाही के परिणामस्वरूप आहत हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि व्यक्ति उन दोषियों की समग्र लापरवाही के कारण आहत हो गया था। ऐसे मामले में, प्रत्येक दोषी, संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से आहत व्यक्ति को पूर्ण क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है

और आहत व्यक्ति के पास सभी के खिलाफ या उनमें से किसी के भी खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प होता है। ऐसे मामले में, आहत व्यक्ति को प्रत्येक दोषी की जिम्मेदारी की सीमा अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है, न ही न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक दोषी का दायित्व अलग से निर्धारित करे। दूसरी ओर जहाँ किसी व्यक्ति को आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण, और आंशिक रूप से उसकी अपनी लापरवाही के परिणामस्वरूप चोट लगती है, तो आहत व्यक्ति की लापरवाही जिसका दुर्घटना में योगदान रहा, को अंशदायी लापरवाही कहा जाता है। जहाँ आहत व्यक्ति किसी लापरवाही का दोषी है, तो क्षतिपूर्ति के लिए उसका दावा केवल उसकी ओर से लापरवाही के कारण विफल नहीं होता है, लेकिन उसके द्वारा उसकी चोटों के संबंध में वसूली योग्य क्षतिपूर्ति उसकी अंशदायी लापरवाही के अनुपात में कम हो जाती है।

7. इसलिए, जब दो वाहन एक दुर्घटना में शामिल होते हैं, और एक चालक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगा कर उस से क्षतिपूर्ति का दावा करता है, और दूसरा ड्राइवर लापरवाही से इनकार करता है या यह दावा करता है कि आहत दावेदार स्वयं लापरवाह था, तो यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या आहत दावेदार लापरवाह था और यदि ऐसा है, तो क्या वह दुर्घटना के लिए अकेले जिम्मेदार था या आंशिक रूप से तथा उसके दायित्व की सीमा क्या होगी; यह उसकी अंशदायी लापरवाही है। इसलिए जहां आहत स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी हो, वहाँ 'समग्र लापरवाही' का सिद्धांत लागू नहीं होगा

तथा न ही यह स्वतः निष्कर्ष हो सकता है कि लापरवाही का दायित्व 50:50 था, जैसा कि हस्तगत मामले में माना गया है। न्यायाधिकरण को अंशदायी लापरवाही की सीमा की जांच करनी चाहिए थी, जिससे कि समग्र लापरवाही और अंशदायी लापरवाही के बीच की दुविधा को दूर किया जा सकता था। उच्च न्यायालय उक्त त्रुटि को ठीक करने में विफल रहा है।"

8. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञा पत्र के वाहन चलाता है, तो वह एक अपराध करता है। वही, अपने आप में, हमारी राय में दुर्घटना के संबंध में लापरवाही का कारण नहीं बन सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि यह प्रतिवादी संख्या 1 था, जो मिनी-ट्रक का चालक था, जिसके द्वारा जल्दबाजी तथा लापरवाही से वाहन चलाया जा रहा था। यह कहना एक बात है कि अपीलार्थी के पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था, लेकिन ऐसा कोई तथ्य का निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि वह जल्दबाजी और लापरवाही से दुपहिया वाहन चल रहा था। यदि वह जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी नहीं चला रहा था जिसने कि दुर्घटना में योगदान किया हो, तो हम यह देखने में विफल रहे हैं कि कैसे, केवल इसलिए कि उसके पास अनुज्ञा पत्र नहीं था, उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी ठहराया जाएगा।

9. अगर उसकी जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण, दुर्घटना हुई होती, तो मामला भिन्न होता।

10. इसलिए हमारा मानना है कि विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार निरस्त जाता है। अपीलार्थी 30,000/- रुपये की उक्त राशि मय निर्णय की दिनांक से अदायगी की दिनांक तक 7.5% वार्षिक की दर से ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार है। अन्यथा भी, उसे आयी चोटों की प्रकृति को देखते हुए यह न्यायोचित नहीं होगा कि उसे क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदत्त की गई Rs.30,000/- की

छोटी सी राशि से भी वंचित रहना पड़े। उपरोक्त निर्देश के साथ अपील स्वीकार की जाती है। खर्च पर कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकार की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कनिका हांडा (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए,

निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।